संख्या–1272 / 9–आ–5–2001–123विविध / 2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 5 लखनऊ : दिनाँक – 24 मई, 2001

विषयः विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अकेन्द्रीयित व केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों / कार्मिकों के प्रथम नियुक्ति के समय चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के संबंध में विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के चौथे शुक्रवार हेतु निर्धारित मा0 सदस्य श्री रामचन्द्र यादव द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–85 का उत्तरालेख एवं अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराये जाने के विषय में शासन के पत्र संख्या–16 ए.क्यू. / 9–आ–5–2001–15ए क्यू–2001, दिनांक 18.5.2000 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने प्राधिकरणों से संबंधित केन्द्रीयित / अकेन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों एवं कार्मिकों के द्वारा सेवा में आने के समय चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण–प्रत्येक दशा में दिनांक 30.6.2001 तक शासन को उपलब्ध कराया जाये। यदि इस अवधि के दौरान उपरोक्त के विषय में सूचना शासन को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो संबंधित उपाध्यक्ष / सचिव के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शासन के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी

3. यह प्रकरण अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर शासन को आख्या / सूचना प्रेषित की जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव